IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकःएफ.4(54)पट्टा अभि/विधि/पंरा/2017/**253** जयपुर,दिनांकः**28.03.2017**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद,
समस्त, राजस्थान ।

विषय :– पट्टा आवंटन अभियान (14 अप्रैल, 2017 से 12 जुलाई, 2017)बाबत।

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि डा0 अम्बेडकर जयन्ती 14 अप्रैल, 2017 से 12 जुलाई, 2017 90 दिवस की अवधि में राज्य में एक विशेष अभियान चलाया जाकर, पंचायतों के पट्टाहीन पात्र व्यक्तियों को आबादी भूमि के पट्टे एवं भू–खण्डहीन पात्र व्यक्तियों को भू–खण्ड आवंटित किये जायेंगे ।

उपरोक्त अभियान दिनांक 14 अप्रैल, 2017 (शुक्रवार) को प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित कर आरम्भ किया जायेगा तथा इस दिवस के पश्चात आगामी सप्ताह से **प्रत्येक सोमवार एवं गुरूवार** को प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित किये जायेंगे। इस प्रकार से अभियान अवधि में उक्त दिवसों में एक–एक ग्राम पंचायत पर शिविर आयोजित किये जायेंगे । कतिपय पंचायत समितियों में यह स्थिति भी हो सकती है कि केवल एक शिविर आयोजित करने से उक्त अभियान अवधि में वहां की समस्त ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित नहीं हो पायें । अतः ऐसी स्थिति में सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विकास अधिकारी से चर्चा उपरान्त कुछ दिवसों में दो–दो शिविर भी आयोजित करना सुनिश्चित कर लें । इस प्रकार से निर्धारित शिविरों का पंचायत समितिवार कलेण्डर सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा ही तय किया जाकर, यह कलेण्डर आवश्यक रूप से **सात दिवस की अवधि में** पंचायती राज विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

इस अभियान की सफल कियान्विति के लिए आपसे अपेक्षा है कि आप द्वारा अभियान आरम्भ होने के पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये:–

1. प्रत्येक ज़िला परिषद एवं पंचायत समिति स्तर पर इस अभियान हेतु किसी अधिकारी/कार्मिक को प्रभारी नियुक्त किया जाकर, उनका नाम, पदनाम, मोबाईल नं0 एवं मेल आई डी यथाशीघ्र इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करायें ।

2. विभाग द्वारा पंचायतों के लिए मानक स्टेशनरी हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश विभागीय परिपत्र क0 एफ.186(14)(27)लेखा/निरीक्षण/रिकार्ड/2010/230 दिनांक 1.2.2011 के द्वारा पूर्व में जारी किये जा चुके हैं, जिनमें मानक पट्टा प्रारूप भी निर्धारित किया हुआ है । अतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अभियान आरम्भ होने की तिथि से पूर्व सभी ग्राम पंचायतों के पास पर्याप्त पट्टा बहियां उपलब्ध हों ।

3. राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 137 में निर्धारित स्थावर संपत्तियों के रजिस्टर में पंचायत की स्थावर सम्पत्तियों का इन्द्राज किये जाने का प्रावधान है । अतः अभियान आरम्भ होने की तिथि से पूर्व पंचायत की ऐसी समस्त संपत्तियों की वर्तमान स्थिति का विवरण आवश्यक रूप से दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

4. सरकार के ध्यान में लाया गया है कि अधिकांश ग्राम पंचायतों को स्वयं के क्षेत्राधिकार की आबादी भूमि का सीमा ज्ञान नहीं है, इस कारण उन्हें आबादी भूमि के पट्टे आवंटन करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है । अतः यथाशीघ्र समस्त ग्राम पंचायतों को उनकी आबादी भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

5. ग्राम पंचायतों के पास वर्तमान में पट्टा/भू–खण्ड आवंटन से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों की सूची, लम्बित रहने के कारणों सहित तीन दिवस की अवधि में ज़िला परिषद पर प्राप्त कर, इन लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तर से समुचित मार्गदर्शन ग्राम पंचायतों को दिया जाना सुनिश्चित करायें । यदि किसी

प्रकरण में विभाग से मार्गदर्शन अपेक्षित हो तो अविलम्ब विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर, इस तरह के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जाये ।

इस अभियान हेतु आवश्यक अन्य विस्तृत दिशा–निर्देश यथासमय प्रेषित किये जायेंगे । राज्य सरकार द्वारा इस अभियान को सुचारू रूप से संचालित किये जाने के लिए विभागीय मुख्यालय पर एक विशेष प्रकोष्ठ गठित किया गया है । इस अभियान से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की समस्या के निराकरण/मार्गदर्शन हेतु प्रकोष्ठ प्रभारी **श्री बी0डी0 कृपलानी (मो0नं0 9414251727)** से सम्पर्क किया जा सकता है ।

कृपया उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार आप द्वारा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्ब अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

यह निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

1479049
03.04.2017

(ललित कुमार)
उप शासन सचिव(विधि)

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ।
2. निजी सचिव, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ।
3. अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ।
4. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज ।
5. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ।
6. समस्त अधिकारीगण, पंचायती राज विभाग ।
7. श्री बी0डी0 कृपलानी, प्रभारी, पट्टा वितरण अभियान प्रकोष्ठ ।

उप शासन सचिव(विधि)

For upload website

4